तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
1/10/24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को नोटिस डिलाई गई। बावजूद नोटिस डिलाई के अनुपस्थित रहने के विपक्षीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थी के पत्रावली पर बहस सुनी। आदेश फैसला के लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली विविध हेतु होकर दाखिल दफ्तर हो।
	(हस्ताक्षर) नायब तहसीलदार गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2024

प्रार्थीगण :–

1. पुखराज पुत्र नेमीचन्द
   जाति ओसवाल निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. पूनमाराम पुत्र भूराराम
2. मूलाराम पुत्र भूराराम
3. उदाराम पुत्र फूसाराम
4. मोहनराम पुत्र भैराराम
5. लाखाराम पुत्र फूसाराम
6. हुकमाराम पुत्र फूसाराम
7. कुंभाराम पुत्र लिछमणाराम
8. किसनाराम पुत्र फूसाराम
9. गेनी पत्नी भेराराम
10. धनाराम पुत्र भेराराम
11. पूनमाराम पुत्र ईशराराम
12. पीराराम पुत्र भैराराम
13. पोकरराम पुत्र फूसाराम
14. गोमाराम पुत्र जूंजाराम
15. पारूदेवी पत्नी गोमाराम जाति जाट निवासी रामजी का गोल
16. हरींगाराम पुत्र भारमलराम जाति विश्नोई निवासी रामजी का गोल
17. धरमी पत्नी जैताराम
18. भोपालसिंह पुत्र जैताराम
19. रमेशकुमार पुत्र जैताराम जाति जाट निवासी रामजी का गोल फांटा
20. तहसीलदार गुड़ामालानी

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 12.02.2024

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की पत्रावली पर बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा रामजी का गोल पटवार हल्का बेरीगांव के खेत खसरा नम्बर 43/4 रकबा 2.2096 एवं खसरा नम्बर 43/3 रकबा 0.3237 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा रामजी का गोल पटवार हल्का बेरीगांव के खेत खसरा नम्बर 43/4 रकबा 2.2096 एवं खसरा नम्बर 43/3 रकबा 0.3237 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक, पीपराली को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक .... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

मांकः वाद / 2024 / 122

दिनांक : 19/2/24

प्रार्थीगण   बनाम   विप्रार्थीगण

पुखराज वगैरा   **पूनमाराम वगैरा**

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं......01 / 2024..   निर्णय दिनांक :– **12.02.2024**

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम **रामजी का गोल पटवार हल्का बेरीगांव** के खेत खसरा नम्बर 43/4 रकबा 2.2096 एवं खसरा नम्बर 43/3 रकबा 0.3237 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक, पीपराली**....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ...0500/–...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

कमांकः वाद / 2024 / 123-25   दिनांक :

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी.........गुड़ामालानी.
3. भू–अभिलेख निरीक्षक **पीपराली**
4. हल्का पटवारी....**बेरीगांव.** को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण......... **पुखराज वगैरा**
6. विप्रार्थीगण....... **पूनमाराम वगैरा**

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी